

**SHRI SAI BHAKTA SAMAJ (REGD.)**

17, Institutional Area, Lodhi Road,  
New Delhi-110003

Photo

60 वर्ष या उससे अधिक वृद्ध व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र।

फार्म संख्या.....

खाता संख्या.....

- 1 प्रार्थी का नाम .....
- 2 विवाहित / अविवाहित / विधुर / विधवा .....
- 3 पति / पिता का नाम .....
- 4 जन्म तिथि एवं वर्ष (प्रमाण-पत्र संगलन करें) .....
- 5 वर्तमान निवास का पता (आधार कार्ड / पहचान-पत्र की प्रतिलिपि संगलन करें) .....
- 6 प्रार्थी के बैंक का नाम और खाता संख्या .....
- (पासबुक की प्रतिलिपि जिसमें नाम, पता, खाता संख्या, आई एफ एस सी कोड आदि हो संगलन करें।)
- 7 मासिक आय (सभी स्रोतों से) .....
- 8 किस कारणवश आप आर्थिक सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

कृ.पू.उ.

**आवश्यक शर्तें :**

- 1 आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 2 पेंशन को चालू रखने के लिए प्रत्येक पेंशनभोगी को हर वर्ष अपने जीवित होने का प्रमाणपत्र देना होगा जोकि किसी राजपत्रित अधिकारी / बैंक अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया गया हो।
- 3 प्रबन्ध समिति को बगैर किसी कारण के भी किसी भी आवेदन पत्र को रद्द करने का अधिकार हमेशा रहेगा और साथ ही यह भी अधिकार रहेगा कि वह पेंशनभोगी द्वारा पेंशन का दुरुप्रयोग करने पर पहले से स्वीकृत पेंशन को भी रद्द कर सके।
- 4 पेंशन की इस प्रकार मंजूरी पेंशनभोगी को ऐसा कोई भी कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करती कि भविष्य में उसे पेंशन निरंतर मिलती रहे।
- 5 यह योजना किसी भी समय बिना किसी कारण के रद्द या स्थागित की जा सकती है।
- 6 अधूरे आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

**घोषणा**

मैंने उपर्युक्त शर्तें पढ़ ली हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता / करती हूँ। साथ ही यह भी घोषणा करता / करती हूँ मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना मेरे अनुसार ठीक है यदि इसमें कोई भी सूचना कभी भी गलत पाई जाती है तो मेरे खिलाफ समाज उचित कानूनी कार्यवाही कर सकता है।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर)

=====

**FOR OFFICE USE**

All facts mentioned above (Page No. 1 & 2) by the applicant are true to best of my knowledge and hence I recommend.

Recommended by .....

Signature of Recommended member .....

Approved by :

R.K. Chopra  
Hony. Secretary